राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 74/2022 जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2022/157

शेखावाटी शिक्षण संस्थान गाडाखेड़ा जरिये सचिव जगदीश कुमार पुत्र शुभराम जाति जाट निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

............वादी

– बनाम –

1. अनु कुमारी पुत्री रामस्वरूप
2. अनिता देवी पत्नि आशीष
3. अनिता पुत्री होशियार सिंह
4. अमीलाल पुत्र हनुमान
5. आदेश पुत्र आशीष
6. सुभाष पुत्र कन्हैया नवीरा सुखराम
7. कमलेश पुत्री महादा
8. कमला पुत्री टेकचन्द
9. कमला पुत्री फुलचन्द
10. कमला देवी पत्नि रणवीर सिंह
11. कविता पुत्री प्रतापसिंह
12. किरण पत्नि प्रतापसिंह
13. गोकलसिंह पुत्र कुरडाराम
14. छैलूराम पुत्र गुरूदयाल
15. जयदयाल पुत्र जीराम
16. जोगेन्द्र कुमार पुत्र रणवीर सिंह
17. झुथाराम पुत्र बजरंग
18. दयाकोर पुत्री कुरडाराम
19. दयाकौर पुत्री टेमचन्द
20. दयाकौर पुत्री श्योचन्द
21. दूलीचन्द पुत्र जगमाल
22. जोगेन्द्र पुत्र दलीप सिंह नवीरा जीराम
23. बलवान पुत्र दलीप सिंह नवीरा जीराम
24. दीपक पुत्र सुरेश कुमार
25. धर्मेन्द पुत्र महादा
26. धर्मपाल पुत्र माईबख्श
27. धर्मेश कुमार पुत्र रामस्वरूप
28. प्रदीप पुत्र नेकीराम नवीरा कुरडाराम
29. सन्दीप पुत्र नेकीराम नवीरा कुरडाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 16:51:31 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

30. शांति पत्नि नेकीराम नवीरा कुरडाराम
31. जलेसिंह पुत्र नेकीराम
32. बलबीर पुत्र नेकीराम
33. किताब पत्नि नगेन्द्र कुमार भास्कर
34. सीमा पुत्री नगेन्द्र कुमार भास्कर
35. हर्षविन्द पुत्र नगेन्द्र कुमार भास्कर
36. प्रमेन्द्र पुत्र नगेन्द्र कुमार भास्कर
37. नरेश पुत्र प्रतापसिंह
38. नरेश कुमार पुत्र जुगलाल
39. निर्मला पुत्री देवकरण
40. पतासी देवी पत्नि स्व. देवकरण
41. प्रदीप कुमार पुत्र रामस्वरूप
42. प्रेम पुत्री देवकरण
43. राजेश पुत्र फुलचन्द नवीरा ताराचन्द
44. बनवारी पुत्र टेकचन्द
45. बस्तीराम पुत्र जीराम
46. बिमला पुत्री कुरडाराम
47. बिमला पुत्री देवकरण
48. बिमला पुत्री बजरंग
49. बिमला देवी पुत्री जगमाल
50. भगवाना पुत्र ताराचन्द
51. भतेरी पुत्री श्योचन्द
52. भरतसिंह पुत्र गुरूदयाल
53. भरपाई पुत्र अमरसिंह
54. भागोती देवी पत्नि होशियारसिंह
55. मनीराम पुत्र सालगराम
56. महेन्द्र पुत्री टेकचन्द
57. महेन्द्रसिंह पुत्र जगमाल
58. महावीर पुत्र सुरजा
59. मांगेलाल पुत्र श्योचन्द
60. संदेश पुत्र मातुराम नवीरा ताराचन्द
61. कुम्भाराम पुत्र मातुराम
62. धूपसिंह पुत्र मातुराम
63. अजीत पुत्र मातुराम
64. सुमेरसिंह पुत्र मातुराम
65. मातादीन पुत्र हनुमान
66. मामचन्द पुत्र गुरूदयाल
67. मायाकोर पुत्री जगमाल
68. मायाकौर पुत्री श्योचन्द
69. मायावती पुत्री कुरडाराम
70. सहीराम पुत्र मालाराम नवीरा सालगराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:51:31 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

निर्णय दिनांक :– 24-11-22

बलबीर पुत्र मालाराम **(फौत)**
71/1. सुधा देवी पत्नि बलवीर
71/2. अनिल पुत्र बलवीर
कपील पुत्र मोहरसिंह नवीरा जीराम
जगजीत पुत्र मोहरसिंह
रघुवीर पुत्र माईबख्श
शारदा पत्नि रघुवीर नवीरा टेकचन्द
दर्शन पुत्र रघुवीर
अनिल पुत्र रघुवीर
रजनी पुत्री रणवीर सिंह
रेणु पुत्री रणवीर सिंह
रेशमा पुत्री बजरंग
1. राजेन्द्र सिंह पुत्र लालचन्द
2. राजेश पुत्र प्रतापसिंह
3. राजेश पुत्र माईबख्श
4. राजेश कुमार पुत्र फुलचन्द
5. रामनाथ पुत्र बालूराम
6. रामप्यारी पत्नि महादा
7. रामरती पुत्री देवकरण
8. राजेन्द्र पुत्र रामसिंह नवीरा कुरडाराम
9. योगेन्द्र पुत्र रामसिंह
0. रिछपाल पुत्र गुरूदयाल
91. रोशनी पुत्री टेकचन्द
92. लिछमा देवी पत्नि स्व. जगमाल
93. विकाश पुत्र प्रताप सिंह
94. विकाश कुमार पुत्र रणवीर सिंह
95. विधाधर पुत्र सुरजा
96. विशाल पुत्र सुरेश कुमार
97. श्याना पुत्री कुरडाराम
98. शांति पत्नि फुलचन्द
99. शारदा पुत्री जगमाल
100. शीशराम पुत्र गुरूदयाल
101. सचिन पुत्र कर्णसिंह
102. सत्येन्द्र पुत्र रिछपाल सिंह
103. सत्यवीर सिंह पुत्र गुरूदयाल
104. सन्तरा पुत्री टेकचन्द
105. सन्तोष पुत्री फुलचन्द
106. सुनील कुमार पुत्र होशियारसिंह
107. सुभाष पुत्र कुरडाराम
108. सुभाष पुत्र देवकरण
109. समरजीत पुत्र रिछपाल सिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:51:31 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

10. सुमित्रा पत्नि सुरेश कुमार
11. सुरेन्द्र पुत्र फुलचन्द
12. आशा पत्नि सुरेश नवीरा अमरसिंह
13. मन्जीत पुत्र सुरेश नवीरा अमरसिंह
14. सरोज पत्नि रामस्वरूप
15. सविता पुत्री अमरसिंह
16. सुशीला पुत्री देवकरण
17. सावित्री पुत्री श्योचन्द
18. हरबाई पत्नि बजरंग
19. हरिसिंह पुत्र गणपत
120. हरिसिंह पुत्र लालचन्द
121. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गाडाखेड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
122. नायब तहसीलदार उप–तहसील सिंधाना जिला झुन्झुनू (राज.)
123. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना

..................प्रतिवादीगण

दावा – **खाता विभाजन**

उपस्थिति –
1. श्री राजेश कुमार यादव , अधिवक्ता – वादी की ओर से ।
2. श्री मनोज कुमार अधिवक्ता– प्रति. सं. 52, 55, 70, 71/1, 71/2, 102, 109 की ओर एवं इकबाली जवाब पेश कर प्रतिदावा बाबत खाता विभाजन पेश किया एवं आवेदकगण ने प्रतिवादीगण के प्रतिदावे का जवाब प्रस्तुत नही करना चाहा।
3. शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

:: निर्णय ::–

दिनांक :– 24-11-22

वादी की ओर से हस्तगत वाद पत्र पेश किया गया कि –
1. यह कि वाके ग्राम गाडाखेड़ा तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 180 रकबा 0.09 है., ख.न. 709/184 रकबा 0.37 है., ख.न. 717/184 रकबा 0.8919 है., ख.न. 718/181 रकबा 0.67 है., ख.न. 721/181 रकबा 0.08 है., ख.न. 722/560 रकबा 0.47 है., ख.न. 724/560 रकबा 0.17 है., ख.न. 726/660 रकबा 0.56 है. किता 8 रकबा 3.3019 है. में वादी संस्था का हिस्सा 1100/33019 है. तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 120 का हिस्सा 31919/33019 भाग है वादी एंव प्रतिवादीगण अपने – अपने हिस्से अनुसार शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के काबिज कास्त है।
2. यह कि वाद पत्र के खण्ड नं.1 में वर्णित भूमि में से आपसी बटवारा अनुसार ख.न. 722/560 रकबा 0.47 है. के 0.11 है. रकबा पर वादी संस्था का कब्जा कास्त है। वाद वर्णित भूमि का मौके पर खातेदारों ने पारिवारिक समझौते से विभाजन कर रखा है लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 16:51:31 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व रिकार्ड में इनका खाता संयुक्त है। एवं भूमि का सीमाकंन एवं मापन कर विभाजन किये जाने योग्य है। खाता संयुक्त रहने से वादीगण को अपने हिस्सा की भूमि में सुधार कार्य करने अन्यत्र उपयोग करने में भारी परेशानी है सभी खातेदार एक साथ एकत्रित नही होते है ऐसी स्थिति में वादी के लिये अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजित नही हो पाने से वादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मूल्याकंन नही किया जा सकता है।

3. यह कि दावा के लिये आधार विवाद वाद वर्णित भूमि का खाता संयुक्त रहने एवं खातेदारों का एकत्रित नही होने से सहमति से खाता विभाजित नही होने से पैदा हुआ है। वैसे भी खाता विभाजन के दावा में आधार विवाद सदैव ही बना रहता है।
4. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम गाडाखेड़ा में स्थित है जो न्यायालय श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में होने से यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त है।
5. यह कि प्रतिवादी सं. 121 से ऋण लेने व प्रतिवादी सं. 123 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है।
6. यह कि दावा खाता विभाजन के लिये 1 रूपया कोर्ट फीस नियत है एवं दावा स्थाई निषेधाज्ञा के लिये भी 1 रूपया कोर्ट फीस नियत है इसलिये दावा कुल दो रूपया कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवामें पेश है।
7. यह कि वाद पत्र द्वितिय प्रति मे हैं एवं वाद पत्र के समर्थन में वादी का शपथ पत्र पेश हैं।
8. यह कि विवादित भूमि का अपडेटड रिकार्ड पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन हैं कि :-

(क) वाके ग्राम ग्राम गाडाखेड़ा तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 180 रकबा 0.09 है., ख.न. 709/184 रकबा 0.37 है., ख.न. 717/184 रकबा 0.8919 है., ख.न. 718/181 रकबा 0.67 है., ख.न. 721/181 रकबा 0.08 है., ख.न. 722/560 रकबा 0.47 है., ख.न. 724/560 रकबा 0.17 है., ख.न. 726/660 रकबा 0.56 है. किता 8 रकबा 3.3019 है. में से वादी संस्था का 1100/33019 हिस्सा का खाता सीमाकंन एवं मापन कर विभाजित कर लगान अलग से कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिये जाने की कृपा करे।

(ख). कि वादी का दावा विरूद प्रतिवादीगण डिक्री कर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो वादीगण वाजिब हकदार हो दिलवाये जाने कि कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई प्रति. सं. 52, 55, 70, 71/1, 71/2, 102, 109 की ओर से मनोज कुमार अधिवक्ता ने इकबाली जवाब पेश कर वादी के दावे का समर्थन किया एवं प्रतिदावा इन तथ्यो के साथ पेश किया - प्रतिवादी स. 52 की ओर से इकबाली जवाब दावा मय प्रतिदावा इस प्रकार पेश किया कि

प्रतिवादी सं. 52 की ओर से इकबालीया जवाब दावा मय प्रतिदावा निम्न प्रकार सेवामें पेश है:-

1. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 1 स्वीकार है।
2. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 2 स्वीकार है।
3. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 3 स्वीकार है।
4. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 4 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नही है।
5. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 5 स्वीकार है।
6. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 6 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नही हैं।
7. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 7 स्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:51:31 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

8. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 8 स्वीकार है।

प्रतिदावा बाबत – खाता विभाजन।

9. यह कि वाके ग्राम गाडाखेड़ा तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 180 रकबा 0.09 है., ख.न. 709/184 रकबा 0.37 है., ख.न. 717/184 रकबा 0.8919 है., ख.न. 718/181 रकबा 0.67 है., ख.न. 721/181 रकबा 0.08 है., ख.न. 722/560 रकबा 0.47 है., ख.न. 724/560 रकबा 0.17 है., ख.न. 726/660 रकबा 0.56 है. किता 8 रकबा 3.3019 है. में प्रतिवादी सं. 52/ प्रतिदावाकर्ता का हिस्सा 200/33019 हिस्सा है तथा शेष हिस्सा वादी व शेष प्रतिवादीगण है वादी एंव प्रतिवादीगण अपने– अपने हिस्से अनुसार शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के काबिज कास्त है।

10. यह कि प्रतिदावा के खण्ड नं.1 में वर्णित भूमि में से बाहमी बंटवारा अनुसार प्रतिदावाकर्ता का कब्जा कास्त है। प्रतिदावा में वर्णित भूमि का मौके पर खातेदारों ने पारिवारीक समझौता से विभाजन कर रखा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में इनका खाता संयुक्त है। एवं भूमि का सीमाकंन एवं मापन कर विभाजन किये जाने योग्य है। खाता संयुक्त रहने से प्रतिवादी सं. 52/ प्रतिदावाकर्ता को अपने हिस्सा की भूमि में सुधार कार्य करने अन्यत्र उपयोग करने में भारी परेशानी है सभी खातेदार एक साथ एकत्रित नही होते है ऐसी स्थिति में प्रतिदावाकर्ता/प्रति.सं. 52 के लिये अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजित नही हो पाने से वादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मूल्याकंन नही किया जा सकता है।

11. यह कि प्रतिदावा के लिये आधार विवाद वाद वर्णित भूमि का खाता संयुक्त रहने एवं खातेदारों का एकत्रित नही होने तथा वादी द्वारा यह दावा पेश करने से से पैदा हुआ है। वैसे भी खाता विभाजन के दावा में आधार विवाद सदैव ही बना रहता है।

12. यह कि प्रतिदावा में वर्णित भूमि वाके ग्राम गाडाखेड़ा में स्थित है जो न्यायालय श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में होने से यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त है।

13. यह कि प्रतिदावा खाता विभाजन के लिये 1 रूपया कोर्ट फीस नियत है इसलिये प्रतिदावा कुल एक रूपया कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवामें पेश है।

14. यह कि प्रतिदावा द्वितिय प्रति मे हैं एवं प्रतिदावा व जवाबदावा के समर्थन में प्रतिदावाकर्ता का शपथ पत्र पेश हैं।

अतः इकबालिया जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश कर निवेदन हैं कि :–

(क). कि वाके ग्राम ग्राम गाडाखेड़ा तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 180 रकबा 0.09 है., ख.न. 709/184 रकबा 0.37 है., ख.न. 717/184 रकबा 0.8919 है., ख.न. 718/181 रकबा 0.67 है., ख.न. 721/181 रकबा 0.08 है., ख.न. 722/560 रकबा 0.47 है., ख.न. 724/560 रकबा 0.17 है., ख.न. 726/660 रकबा 0.56 है. किता 8 रकबा 3.3019 है. में से प्रतिवादी [illegible] / प्रतिदावाकर्ता का हिस्सा 200/33019 हिस्सा का खाता सीमाकंन एवं मापन कर विभाजि[illegible] अलग से कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद [illegible] की कृपा करे।

(ख). कि प्रतिदावाकर्ताओं का प्रतिदाव[illegible] वादी व शे[illegible] डिकी कर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से [illegible] वाजिब हकदार हो दिलवाये जाने कि कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 16:51:31 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रतिवादी स. 55 की ओर से इकबाली जवाब दावा मय प्रतिदावा निम्न प्रकार पेश किया कि –

1. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 1 स्वीकार है।
2. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 2 स्वीकार है।
3. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 3 स्वीकार है।
4. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 4 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नही है।
5. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 5 स्वीकार है।
6. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 6 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नही हैं।
7. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 7 स्वीकार है।
8. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 8 स्वीकार है।

प्रतिदावा बाबत – खाता विभाजन।

9. यह कि वाके ग्राम गाडाखेड़ा तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 180 रकबा 0.09 है., ख.न. 709/184 रकबा 0.37 है., ख.न. 717/184 रकबा 0.8919 है., ख.न. 718/181 रकबा 0.67 है., ख.न. 721/181 रकबा 0.08 है., ख.न. 722/560 रकबा 0.47 है., ख.न. 724/560 रकबा 0.17 है., ख.न. 726/660 रकबा 0.56 है. किता 8 रकबा 3.3019 है. में प्रतिवादी सं. 52/ प्रतिदावाकर्ता का हिस्सा 200/33019 हिस्सा है तथा शेष हिस्सा वादी व शेष प्रतिवादीगण है वादी एंव प्रतिवादीगण अपने– अपने हिस्से अनुसार शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के काबिज कास्त है।

10. यह कि प्रतिदावा के खण्ड नं.1 में वर्णित भूमि में से बाहमी बंटवारा अनुसार प्रतिदावाकर्ता का कब्जा कास्त है। प्रतिदावा में वर्णित भूमि का मौके पर खातेदारों ने पारिवारीक समझौता से विभाजन कर रखा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में इनका खाता संयुक्त है। एवं भूमि का सीमाकंन एवं मापन कर विभाजन किये जाने योग्य है। खाता संयुक्त रहने से प्रतिवादी सं. 55/ प्रतिदावाकर्ता को अपने हिस्सा की भूमि में सुधार कार्य करने अन्यत्र उपयोग करने में भारी परेशानी है सभी खातेदार एक साथ एकत्रित नही होते है ऐसी स्थिति में प्रतिदावाकर्ता/प्रति.सं. 55 के लिये अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजित नही हो पाने से वादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मूल्याकंन नही किया जा सकता है।

11. यह कि प्रतिदावा के लिये आधार विवाद वाद वर्णित भूमि का खाता संयुक्त रहने एवं खातेदारों का एकत्रित नही होने तथा वादी द्वारा यह दावा पेश करने से से पैदा हुआ है। वैसे भी खाता विभाजन के दावा में आधार विवाद सदैव ही बना रहता है।

12. यह कि प्रतिदावा में वर्णित भूमि वाके ग्राम गाडाखेड़ा में स्थित है जो न्यायालय श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में होने से यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त है।

13. यह कि प्रतिदावा खाता विभाजन [illegible] के लिये 1 रूपया कोर्ट फीस नियत है इसलिये प्रतिदावा कुल एक रूपया कोर्ट फीस पर न्यायाल[illegible] जी की सेवामें पेश है।

14. यह कि प्रतिदावा द्वितिय प्रति [illegible] जवाबदावा के समर्थन में प्रतिदावाकर्ता का शपथ पत्र पेश है। [illegible]
अतः इकबालिया जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश कर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 16:51:31 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

(A). कि वाके ग्राम ग्राम गाडाखेड़ा तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 180 रकबा 0.09 है., ख.न. 709/184 रकबा 0.37 है., ख.न. 717/184 रकबा 0.8919 है., ख.न. 718/181 रकबा 0.67 है., ख.न. 721/181 रकबा 0.08 है., ख.न. 722/560 रकबा 0.47 है., ख.न. 724/560 रकबा 0.17 है., ख.न. 726/660 रकबा 0.56 है. किता 8 रकबा 3.3019 है. में से प्रतिवादी सं. 55/ प्रतिदावाकर्ता का हिस्सा 200/33019 हिस्सा का खाता सीमाकंन एवं मापन कर विभाजित कर लगान अलग से कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिये जाने की कृपा करे।

(B). कि प्रतिदावाकर्ताओं का प्रतिदावा विरूद वादी व शेष प्रतिवादीगण डिकी कर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो वादीगण वाजिब हकदार हो दिलवाये जाने कि कृपा करें।

प्रतिवादी स. 70, 71/1, 71/2, 71/2 की ओर से इकबाली जवाब मय प्रतिदावा पेश किया कि –

1. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 1 स्वीकार है।
2. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 2 स्वीकार है।
3. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 3 स्वीकार है।
4. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 4 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नही है।
5. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 5 स्वीकार है।
6. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 6 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नही हैं।
7. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 7 स्वीकार है।
8. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 8 स्वीकार है।

प्रतिदावा बाबत – घोषणात्मक, खाता विभाजन।

1. यह कि वाके ग्राम गाडाखेड़ा तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 180 रकबा 0.09 है., ख.न. 709/184 रकबा 0.37 है., ख.न. 717/184 रकबा 0.8919 है., ख.न. 718/181 रकबा 0.67 है., ख.न. 721/181 रकबा 0.08 है., ख.न. 722/560 रकबा 0.47 है., ख.न. 724/560 रकबा 0.17 है., ख.न. 726/660 रकबा 0.56 है. किता 8 रकबा 3.3019 है. में प्रतिदावाकर्ता/ प्रति.सं. 70, 71 के हकपूर्वाधिकारी मालाराम पुत्र सालगराम का हिस्सा 150/33019 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है प्रतिवादी सं. 70, 71/1, 71/2 / 71/2 के हकपूर्वाधिकारी की मृत्यु हो चुकी है प्रतिदावकर्ताओं के नाम से विरासतन नामान्तरकरण दर्ज नही हुआ है इसलिए प्रतिवादी सं. 70, 71/1, 71/2 हिस्से की घोषणा करने प्रतिदावाकर्ता अपने पिता व दादा के नाम दर्ज 150/33019 हिस्से की घोषणा करने के अधिकारी तथा शेष हिस्सा वादी व शेष प्रतिवादीगण है वादी एंव प्रतिवादीगण अपने– अपने हिस्से अनुसार शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के काबिज कास्त है।
2. यह कि प्रतिदावा के खण्ड सं. 1 में वर्णित भूमि में से बाहमी बंटवारा अनुसार प्रतिदावाकर्ता का कब्जा कास्त है। प्रतिदावा ... भूमि का मौके पर खातेदारों ने पारिवारीक समझौता से विभाजन ... राजस्व रिकार्ड में इनका खाता संयुक्त है। एवं भूमि का सीमाकंन ... मापन कर ... किये जाने योग्य है। खाता संयुक्त रहने से प्रतिवादी सं. 70, 71/1, 71/2 प्रतिदावाकर्ता को अपने हिस्सा की भूमि में सुधार कार्य करने अन्यत्र उपयोग करने में परेशानी है सभी खातेदार एक साथ एकत्रित नही होते है ऐसी स्थिति में प्रतिदावाकर्ता/प्रति.सं. 70, 71/1, 71/2 के लिये अपने हिस्से की घोषणा नही होने व प्रतिदावा में भूमि का खाता विभाजित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 16:51:31 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

नही हो पाने से वादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नही किया जा सकता है।

3. यह कि प्रतिदावा के लिये आधार विवाद वाद वर्णित भूमि का खाता संयुक्त रहने एवं खातेदारों का एकत्रित नही होने तथा वादी द्वारा यह दावा पेश करने से से पैदा हुआ है। वैसे भी खाता विभाजन के दावा में आधार विवाद सदैव ही बना रहता है।

4. यह कि प्रतिदावा में वर्णित भूमि वाके ग्राम गाडाखेड़ा में स्थित है जो न्यायालय श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में होने से यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त है।

5. यह कि प्रतिदावा बाबत घोषणत्मक के लिये 1 रूपया तथा खाता विभाजन के लिये 1 रूपया कोर्ट फीस नियत है इसलिये प्रतिदावा कुल दो रूपया कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवामें पेश है।

6. यह कि प्रतिदावा द्वितिय प्रति मे हैं एवं प्रतिदावा व जवाबदावा के समर्थन में प्रतिदावाकर्ता का शपथ पत्र पेश हैं।

अतः इकबालिया जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश कर निवेदन हैं कि :-

(A). कि वाके ग्राम ग्राम गाडाखेड़ा तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 180 रकबा 0.09 है., ख.न. 709/184 रकबा 0.37 है., ख.न. 717/184 रकबा 0.8919 है., ख.न. 718/181 रकबा 0.67 है., ख.न. 721/181 रकबा 0.08 है., ख.न. 722/560 रकबा 0.47 है., ख.न. 724/560 रकबा 0.17 है., ख.न. 726/660 रकबा 0.56 है. किता 8 रकबा 3.3019 है. में से प्रतिवादी सं.70, 71/1, 71/2 प्रतिदावाकर्ता को उनके पिता मालाराम पुत्र सालगराम के स्थान पर प्रतिवादी सं. 70 को 75/33019 हिस्सा का तथा प्रतिदावाकर्ता सं. 71/1 व 71/2 को प्रत्येक का 75/66038 – 75/66038 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 70, 71/1, 71/2/ प्रतिदावाकर्ताओं के कुल 150/33019 हिस्सा का खाता सीमाकंन एवं मापन कर विभाजित कर लगान अलग से कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिये जाने की कृपा करे।

(B). कि प्रतिदावाकर्ताओं का प्रतिदावा विरूद वादी व शेष प्रतिवादीगण डिक्री कर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो वादीगण वाजिब हकदार हो दिलवाये जाने कि कृपा करें।

प्रतिवादी स. 102, व 109 की ओर से इकबाली जवाब दावा मय प्रतिदावा निम्न प्रकार पेश किया कि –

1. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 1 स्वीकार है।
2. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 2 स्वीकार है।
3. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 3 स्वीकार है।
4. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 4 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नही है।
5. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 5 स्वीकार है।
6. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 6 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नही हैं।
7. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 7 स्वीकार है।
8. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 8 स्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:51:31 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रतिदावा बाबत – खाता विभाजन।

1. यह कि वाके ग्राम गाडाखेड़ा तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 180 रकबा 0.09 है., ख.न. 709/184 रकबा 0.37 है., ख.न. 717/184 रकबा 0.8919 है., ख.न. 718/181 रकबा 0.67 है., ख.न. 721/181 रकबा 0.08 है., ख.न. 722/560 रकबा 0.47 है., ख.न. 724/560 रकबा 0.17 है., ख.न. 726/660 रकबा 0.56 है. किता 8 रकबा 3.3019 है. में प्रतिवादी सं. 102 व 109/ प्रतिदावाकर्ताओं का हिस्सा 514/33019 + 514/33019 कुल हिस्सा 1028/33019 हिस्सा है तथा शेष हिस्सा वादी व शेष प्रतिवादीगण है वादी एंव प्रतिवादीगण अपने– अपने हिस्से अनुसार शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के काबिज कास्त है।
2. यह कि वाद पत्र के खण्ड नं.1 में वर्णित भूमि में से बाहमी बंटवारा अनुसार प्रतिदावाकर्ताओ का कब्जा कास्त है। वाद वर्णित भूमि का मौके पर खातेदारों ने पारिवारीक समझौता से विभाजन कर रखा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में इनका खाता संयुक्त है। एवं भूमि का सीमाकंन एवं मापन कर विभाजन किये जाने योग्य है। खाता संयुक्त रहने से प्रतिवादी सं. 102 व 109/ प्रतिदावाकर्ताओं को अपने हिस्सा की भूमि में सुधार कार्य करने अन्यत्र उपयोग करने में भारी परेशानी है सभी खातेदार एक साथ एकत्रित नही होते है ऐसी स्थिति में प्रतिदावाकर्ताओं/प्रति.सं. 102 व 109 के लिये अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजित नही हो पाने से वादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मूल्याकंन नही किया जा सकता है।
3. यह कि प्रतिदावा के लिये आधार विवाद वाद वर्णित भूमि का खाता संयुक्त रहने एवं खातेदारों का एकत्रित नही होने तथा वादी द्वारा यह दावा पेश करने से से पैदा हुआ है। वैसे भी खाता विभाजन के दावा में आधार विवाद सदैव ही बना रहता है।
4. यह कि प्रतिदावा में वर्णित भूमि वाके ग्राम गाडाखेड़ा में स्थित है जो न्यायालय श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में होने से यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त है।
5. यह कि प्रतिदावा खाता विभाजन के लिये 1 रूपया कोर्ट फीस नियत है इसलिये प्रतिदावा कुल एक रूपया कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवामें पेश है।
6. यह कि प्रतिदावा द्वितिय प्रति मे हैं एवं प्रतिदावा व जवाबदावा के समर्थन में प्रतिदावाकर्ता का शपथ पत्र पेश हैं।

अतः इकबालिया जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश कर निवेदन हैं कि :–

(A). कि वाके ग्राम ग्राम गाडाखेड़ा तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 180 रकबा 0.09 है., ख.न. 709/184 रकबा 0.37 है., ख.न. 717/184 रकबा 0.8919 है., ख.न. 718/181 रकबा 0.67 है., ख.न. 721/181 रकबा 0.08 है., ख.न. 722/560 रकबा 0.47 है., ख.न. 724/560 रकबा 0.17 है., ख.न. 726/660 रकबा 0.56 है. किता 8 रकबा 3.3019 है. में से प्रतिवादी सं. 102 व 109/ प्रतिदावाकर्ताओं का हिस्सा 514/33019 + 514/33019 कुल हिस्सा 1028/[illegible] हिस्सा का खाता सीमाकंन एवं मापन कर विभाजित कर लग[illegible] राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिये जाने की कृपा करें।

(B). कि प्रतिदावाकर्ताओं का प्रतिदावा [illegible] डिकी कर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो वादी [illegible] वाजिब हकदार हो दिलवाये जाने कि कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 16:51:31 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 17.08.2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 19.10.2022 को प्राप्त हुई । अधिवक्ता वादीगण ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर निवेदन किया हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत है, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादीगण व प्रतिदावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

– :: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम गाड़ाखेड़ा स्थित भूमि ख.न. ग्राम गाडाखेड़ा तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 180 रकबा 0.09 है. , ख.न. 709/184 रकबा 0.37 है., ख.न. 717/184 रकबा 0.8919 है., ख.न. 718/181 रकबा 0.67 है., ख.न. 721/181 रकबा 0.08 है., ख.न. 722/560 रकबा 0.47 है., ख.न. 724/560 रकबा 0.17 है., ख.न. 726/660 रकबा 0.56 है. किता 8 रकबा 3.3019 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "'अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 24-11-22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:51:31 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 74/2022 जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2022/157

शेखावाटी शिक्षण संस्थान गाडाखेड़ा **ब ना म** अनु कुमारी आदि

दावा – खाता विभाजन

वादी की ओर से श्री **राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी सं. 52, 55, 70, 71/1, 71/2, 102, 109 की ओर श्री मनोज कुमार अधिवक्ता एडवोकेट की उपस्थिति में तथा शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित में इस वाद में आज तारीख 24-11-22 को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और डिक्री दी जाती हैं कि –

" न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम गाड़ाखेड़ा स्थित भूमि ख.न. ग्राम गाडाखेड़ा तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 180 रकबा 0.09 है., ख. न. 709/184 रकबा 0.37 है., ख.न. 717/184 रकबा 0.8919 है., ख.न. 718/181 रकबा 0.67 है., ख.न. 721/181 रकबा 0.08 है., ख.न. 722/560 रकबा 0.47 है., ख.न. 724/560 रकबा 0.17 है., ख.न. 726/660 रकबा 0.56 है. किता 8 रकबा 3.3019 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 24-11-22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:51:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं (राज.)